

“ श्री जगन्नाथ सीता एजुकेशनल एण्ड सोसल डेभेलोपमेन्ट संस्थान ”
का

संशोधित स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :- “ श्री जगन्नाथ सीता एजुकेशनल एण्ड सोसल डेभेलोपमेन्ट संस्थान ”
2. निर्बंधित कार्यालय :- इस संस्था का निर्बंधित कार्यालय- द्वारा शैलेश प्र० सिंह, 12 एल०आई०सी० कॉलोनी, पोस्ट- चित्रगुप्तनगर, कंकडबाग, पटना-800020 (बिहार) में रहेगा, स्थान परिवर्तन की सूचना संबंधित कार्यालय / संबंधित पदाधिकारियों को 15 दिन पूर्व दे दी जाएगी ।
3. कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा ।
4. उद्देश्य :- इस संस्था के केन्द्रीभूत उद्देश्य (Core objective) निम्न है ।
 - क- बाल शिक्षा निरक्षरता उन्मूलन हेतु संपूर्ण साक्षरता अभियान एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना विभिन्न स्तरों की शिक्षण संस्थान की स्थापना और संचालन करना । मेधावी गरीब छात्रों को प्रोत्साहित करना ।
 - ख- शिक्षित बेरोजगार युवक / युवतियों को हस्तकला, शिल्पकला, टंकण कला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, आधुनिकीकरण व तकनीकी की व्यवस्था करना एवं तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।
 - ग- पर्यावरण की प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । वन एवं अन्य प्राणियों के रक्षा हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना दुर्लभ प्रजाति के अन्य प्राणियों का संरक्षण एवं बनाए रखने के लिए कार्यक्रमों को संचालित करना ।
 - घ- अनाथ बच्चों, वृद्धों, विद्यार्थियों, आश्रयहीन महिलाओं के लिए आश्रय स्थल, भोजन, चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था करना ।
 - ङ- भिन्न-भिन्न तरह के शिक्षण एवं प्रशिक्षण विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना ।
 - च- सामाजिक, आर्थिक न्याय एवं शोषण के खिलाफ, संघर्ष एवं व्यक्ति की किसी तरह के अन्याय शोषण एवं उत्पीड़न से राहत दिलाना एवं स्वावलम्बी बनाना ।
 - छ- पिछड़ी गै अल्पसंख्यक एवं निम्न वर्ग में व्याप्त अभाव, गरीबी और बेकारी, बेरोजगारी के निवारण हेतु रचनात्मक प्रयास करना ।
 - ज- विकलांगों को कृत्रिम अंग, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना ।
 - झ- बाल-श्रमिक, महिला श्रमिकों एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना ।

मिना बिना
Chairman
Bishop Scott Girls School

Principal
Bishop Scott Girls School
Affiliated to CBSE, New Delhi

ATTESTED

- ट- देश की एकता, अखण्डता, आपसी सद्भावना हेतु लोगों को जानकारी देना एवं जागरूक करना ।
- ठ- सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकासशील योजनाओं के कार्यक्रमों के संचालन में सरकार का सहयोग करना ।
- ड- लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा केन्द्र की स्थापना करना और संचालन करना । परिवार कल्याण का प्रचार-प्रसार कर परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर का आयोजन करना असाध्य रोग एवं एड्स से बचने के लिए आवश्यक जानकारी एवं दवा उपलब्ध कराना ।
- ढ- उर्जा के संरक्षण हेतु लोगों को जानकारी देना एवं जागरूक करना और उर्जा गैर पारम्परिक उर्जा के स्रोतों को उपलब्ध कराना ।
- ण- नशाखेरी, जुआ, खेलना, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना ।
- त- पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय की स्थापना कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करना । नृत्य संगीत, नाटक, नाच का प्रशिक्षण देना ।
- थ- महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, काशीदाकारी, पेंटिंग, गुडिया निर्माण एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।
- द- गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति तथा शिक्षित बेरोजगार, महिलाओं, आदिवासियों हरिजनों, पिछड़ी जातियों, कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का उत्थान हेतु कार्यक्रम चलाना ।
- ध- ग्रामीण जनता को संगठित कर स्वैच्छिक कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामोत्थान का कार्य करना एवं बढ़ावा देना ।
- न- जाति, सम्प्रदाय एवं धर्म में भेद-भाव किए बिना संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक वार्षिक तथा नैतिक विकास के लिए कार्य करेगी ।
- प- यह संस्था राजनीतिक से अलग एक स्वयं सेवी संस्था होगी ।

मिलन बिशप
Chairman

[Signature]

[Signature]

[Signature]
Chairman
Bishop Scott Girls' School

ATTESTED

[Signature]
Principal
Bishop Scott Girls' School
Affiliated to CBSE, New Delhi

(5)

“ श्री जगन्नाथ सीता एजुकेशनल एण्ड सोसल डेभेलौपमेन्ट संस्थान ”
की
संशोधित नियमावली

1. परिभाषा

- क- संस्था से अभिप्राय है :- “ श्री जगन्नाथ सीता एजुकेशनल एण्ड सोसल डेभेलौपमेन्ट संस्थान ”
- ख- समिति से अभिप्राय है :- संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
- ग- पदाधिकारी से अभिप्राय है :- अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
- घ- वर्ष से अभिप्राय है :- 01ली अप्रील से 31 मार्च तक ।
- ड- एक्ट से अभिप्राय है :- सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 21, 1860

2. सदस्यता

कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे और जो संस्था के उद्देश्य एवं नियमों का पालन करेंगे संस्था का सदस्य बनें सकेंगे सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा की जाएगी । प्रत्येक सदस्य को 51/- रूपया प्रवेश शुल्क एवं 21/- रूपया मासिक सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा ।

3. सदस्यता से विमुक्ति :-

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी ।

- क- स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
- ख- पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
- ग- न्यायालय द्वारा किसी फौजदारी मुकदमों में सजा पाने पर ।
- घ- सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।
- ड- लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।
- च- अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।
- छ- संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों के विरुद्ध आचरण करने पर ।

4. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

- क- कार्यकारिणी समिति का कम से कम 07 (सात) सदस्यों की होगी ।
- ख- समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा किया जाएगा ।
- ग- समिति का कार्यकाल पाँच वर्षों की होगी । निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं ।

5. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-

- क- संस्था के चल या अचल सम्पत्ति के उत्तरदायी होगा ।
- ख- संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।
- ग- शाखा एवं उप शाखा का गठन करना ।
- घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

Bhishm Singh
Chairman

Princip. K. Singh
Principal

Bishop Scott Girls' School

ATTESTED

Ladaya
Principal
Bishop Scott Girls' School
Affiliated to CBSE, New Delhi

6. पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकारअध्यक्ष

- क- संस्था के प्रत्येक बैठक का अध्यक्षता करना ।
 ख- कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।
 ग- किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।
 घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव

- क- संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।
 ख- संस्था की ओर से पत्राचार करना ।
 ग- पत्रियों एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।
 घ- आय-व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना ।
 ङ- संस्था के निधि का अंकेक्षण करना ।
 च- कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।
 छ- कार्यकारिणी समिति के राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना ।
 ज- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।
 झ- आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारिणी समिति की पूर्व अनुमति के बिना 1000/- खर्च करना ।
 ट- अध्यक्ष की राय से अन्य कार्य सम्पादित करना ।

कोषाध्यक्ष

- क- संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और अध्यक्ष के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना ।
 ख- संस्था के सदस्यता शुल्क इत्यादि प्राप्त कर रसीद देना ।
 ग- संस्था के कोष को किसी निर्धारित बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

7. आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- क- संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को निर्वाचन करना ।
 ख- संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।
 ग- अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।
 घ- अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

Principa Bmt
2022


Principa


Principa Bmt
 Chairman
 Bishop Scott Girls' School


ATTESTED

Principa
 Principa
 Bishop Scott Girls' School
 Affiliated to CBSE, New Delhi

8. प्रार्थित बैठक :-
 एक तिहाई सदस्यों के लिखित मांग पर आवेदन प्राप्त के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा। आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का उल्लेख होना चाहिए। अगर सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक नहीं बुलाते है तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के निर्णय हेतु उक्त अवधि के उपरान्त बैठक का आयोजन कर सकते है।
9. बैठक की सूचना :-
 क- कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी।
 ख- आम सभा के साधारण बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।
 ग- कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी।
 घ- बैठक की सूचना डाक पंजी या विशेष दूत द्वारा दी जायेगी।
10. बैठक :-
 क- कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी।
 ख- आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी।
 ग- अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।
11. कोरम :-
 प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।
12. आय का श्रोत :-
 क- प्रवेश शुल्क एवं मासिक सदस्यस्ता शुल्क।
 ख- सरकारी, देशी एवं विदेशी अनुदान।
 ग- विशेष शुल्क एवं चन्दा से।
 घ- सरकारी गैर सरकारी एवं अन्य श्रोतों से ऋण।
13. निधि का अंकेक्षण :-
 क- संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रति वर्ष अंकेक्षित कराया जायेगा।
 ख- निबंधन महानिरीक्षक बिहार अपने विवेक से जब भी चाहें संस्था का अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है। इस अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
14. कोष का संचालन :-
 संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।


 Chairman
 Bishop Scott Girls' School




 Principal
 Bishop Scott Girls' School
 Affiliated to CBSE, New Delhi

ATTESTED

15. पंजी का निरीक्षण :-

संस्था का सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

16. नियमावली में संशोधन :-

नियमावली में संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

17. कानूनी कार्रवाई :-

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के नाम से होगी ।

18. विघटन :-

क- संस्था का विघटन अगर किसी कारणवश करना पडे तो आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

ख- विघटन के उपरान्त ऋण इत्यादि भुगतान के बाद जो चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी अन्य सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से किसी समान उद्देश्यवाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

ग- विघटन के संबंध में यह संस्था निबंधन अधिनियम 21-1860 की धारा-13 का पूर्णतः अनुपालन करेगी ।

.....
प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित नियमावली की सच्ची प्रति है ।

Artesingh
अध्यक्ष

Sunil Kumar
कोषाध्यक्ष

Singh
सचिव

" श्री जगन्नाथ शीरा एज्युकेशनल ट्रस्ट, जोसल इन्डिया फोरेन लंका,
निबंधन संख्या - 1367/2008-09
II आम सभा का प्रस्ताव, संशोधित एट्रिप पर
एवं नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि ।

Principals
Principals

NC
21/08/14

NC
13/11/13
वास्तु निःमहो

M. K. Singh
Chairman
Bishop Scott Girls' School

ATTESTED

Lindsey Singh
Principal
Bishop Scott Girls' School
Affiliated to CBSE, New Delhi